कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

File No: NER-HQ0PERS(POLI)/73/2025-O/o SPO/HQ/HQ/NER(**Computer No:** 136767) दिनाँक 06.06.2025

महाप्रबन्धक/सतर्कता
पूर्वोत्तर रेलवे
गोरखपुर।

विषय :– ड्यूटी लिस्ट जारी करने की अनिवार्यता के सम्बन्ध में प्रणाली सुधार (System Improvement)
संन्दर्भ :– उपमुसताधि/लेखा का पत्र संख्या Z/13/एसएस/2024/09/00026/PC/121
दिनाँक 22.05.2025

....

विषयगत मामले में संन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पद्वति सुधार जारी कर दिया गया है, जिसकी प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

संलग्नक/यथोपरि

(गोपाल प्रसाद गुप्ता)
वकाधि/मुख्यालय
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर-273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

File No: NER-HQ0PERS(POLI)/73/2025-O/o SPO/HQ/HQ/NER(**Computer No:** 136767) दिनाँक .06.2025

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः–डयूटी लिस्ट जारी करने की अनिवार्यता के सम्बन्ध में प्रणाली सुधार (System Improvement)

एक जाँच के क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे के एक इकाई में पाया गया है कि यह तथ्य सामने आया है कि कुछ कर्मचारियों को आवंटित कार्यो की कोई लिखित डयूटी लिस्ट जारी नहीं की गई है। इससे यह निर्धारित कर पाना सम्भव नहीं है कि किस कार्य के लिए कौन–सा कर्मचारी उत्तरदायी है।

यदि भविष्य में किसी कर्मचारी द्वारा लापरवाही अथवा जान बुझकर की गई गलती की स्थिति उत्पन्न होती है, तो कार्य के उत्तरदायित्व का निर्धारण कठिन हो जाता है, जिससे किसी भी कर्मचारी की स्पष्ट जवावदेही तय करना सम्भव नहीं होगा। यह स्थिति प्रशासनिक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्य वितरण में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व निर्धारण तथा प्रशासनिक सुदृढता सुनिश्चित करने हेतु निम्न प्रणाली सुधार जारी किया जाता हैः–

- मण्डल/मुख्यालय में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी के पद के अनुरूप डयूटी लिस्ट अनिवार्य रूप से तैयार कर सम्बन्धित कर्मचारी को विधिवत उपलब्ध कराई जाए एवं इसका रिकार्ड सुरक्षित रखा जाए।
- किसी कर्मचारी की नवीन पदस्थापन की स्थिति में भी, उस पद हेतु डयूटी लिस्ट जारी कर सम्बन्धित कर्मचारी को प्रदान की जाए।
- सम्बन्धित शाखा प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों हेतु डयूटी लिस्ट उपलब्ध हो।

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

Digitally Signed by Vinod Kumar Dwivedi
Date: 05-06-2025 14:58:26
Reason: Approved

(वी.के.द्विवेदी)
उपमुकाधि/मुख्या.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित हो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–
1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मेन्स कांग्रेस/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
3– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर।
4– महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओ.बी.सी. एशोशिएसन।

(वी.के.द्विवेदी)
उपमुकाधि/मुख्या.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर-273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

File No: NER-HQ0PERS(POLI)/73/2025-O/o SPO/HQ/HQ/NER(**Computer No:** 136767) दिनाँक .06.2025

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः—ड्यूटी लिस्ट जारी करने की अनिवार्यता के सम्बन्ध में प्रणाली सुधार (System Improvement)
————————

एक जाँच के क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे के एक इकाई में पाया गया है कि यह तथ्य सामने आया है कि कुछ कर्मचारियों को आवंटित कार्यो की कोई लिखित ड्यूटी लिस्ट जारी नहीं की गई है। इससे यह निर्धारित कर पाना सम्भव नहीं है कि किस कार्य के लिए कौन—सा कर्मचारी उत्तरदायी है।

यदि भविष्य में किसी कर्मचारी द्वारा लापरवाही अथवा जान बुझकर की गई गलती की स्थिति उत्पन्न होती है, तो कार्य के उत्तरदायित्व का निर्धारण कठिन हो जाता है, जिससे किसी भी कर्मचारी की स्पष्ट जवावदेही तय करना सम्भव नहीं होगा। यह स्थिति प्रशासनिक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्य वितरण में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व निर्धारण तथा प्रशासनिक सुदृढता सुनिश्चित करने हेतु निम्न प्रणाली सुधार जारी किया जाता हैः—

- मण्डल/मुख्यालय में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी के पद के अनुरूप ड्यूटी लिस्ट अनिवार्य रूप से तैयार कर सम्बन्धित कर्मचारी को विधिवत उपलब्ध कराई जाए एवं इसका रिकार्ड सुरक्षित रखा जाए।
- किसी कर्मचारी की नवीन पदस्थापन की स्थिति में भी, उस पद हेतु ड्यूटी लिस्ट जारी कर सम्बन्धित कर्मचारी को प्रदान की जाए।
- सम्बन्धित शाखा प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों हेतु ड्यूटी लिस्ट उपलब्ध हो।

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

(वी.के.द्विवेदी)
उपमुकाधि/मुख्या.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित हो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—
1— महामंत्री/एन.ई.रेलवे मेन्स कांग्रेस/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
2— महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
3— पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर।
4— महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओ.बी.सी. एशोशिएसन।

Digitally Signed by Vinod
Kumar Dwivedi
Date: 05-06-2025 14:59:58
Reason: Approved

(वी.के.द्विवेदी)
उपमुकाधि/मुख्या.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक